



2026:AHC:41893-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 28870/2025

ताहिर अकमल एवं अन्ययाचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्यप्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : राम बचन यादव

प्रतिवादी के अधिवक्ता : जी.ए. , मयंक कृष्ण सिंह चंदेल, विनोद कुमार चंदेल

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।
2. शुरुआत में ही, विद्वान ए.जी.ए. ने अवगत कराया है कि प्रस्तुत मामले में जांच पहले ही पूरी हो चुकी है और याचिकाकर्ताओं के पक्ष में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है।
3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त तथ्य का खंडन नहीं कर सके, परंतु उन्होंने कहा कि वह इस रिट याचिका पर जोर नहीं देना चाहते और इसे वापस लेना चाहते हैं।
4. उपरोक्त के आलोक में, यह रिट याचिका वापस लिए जाने के आधार पर खारिज की जाती है।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजिव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

फरवरी 24, 2026

आर

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।